

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।

अल्पकालीन निविदा सूचना

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों के लिए प्राधिकरण की शर्तों पर मुहरबन्द निविदायें कार्य के सम्मुख अंकित तिथियों को दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक सचिव कक्ष/प्राधिकरण सभागार में रखे बॉक्स में प्राप्त की जायेंगी तथा उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में (यदि हों), खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र, निविदा प्राप्ति तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय समय (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) में कय किये जा सकते हैं। निविदा खरीदते समय ही धरोहर धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर/एन0एस0सी0 जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बन्धक हों, जमा करानी होगी। प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित धरोहर धनराशि अलग-अलग जमा करानी होगी। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने, स्वीकार करने एवं कार्य को कई ठेकेदारों में विभाजित करने का अधिकार उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 में निहित होगा तथा किसी भी स्थिति में उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 का निर्णय अंतिम होगा।

क. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु०)	धरोहर राशि (रु०)	निविदा मू० (5: वैट) सहित (रु०)	ठेकेदार पंजीकृत श्रेणी	समयावधि	निविदा प्राप्ति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एन.एच.-2 दोताना तिराहे से जैन कोर्ड फेक्ट्री तक सड़क निर्माण कार्य।	1,28,81,035.00	8,44,000.00	2625.00	ए	छः माह	19.03.16
2	चैतन्य विहार आवासीय योजना, द्वितीय चरण में क्षतिग्रस्त रोड का सुदृढीकरण एवं नालियों की मरम्मत का कार्य।	60,14,587.30	5,01,000.00	1050.00	ए	छः माह	19.03.16
3	मथुरा में कचहरी के सम्मुख पेट्रोल पम्प के पास से जिलाधिकारी आवास होते हुए राजकीय बाल शिशु गृह तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	54,40,386.75	4,72,000.00	1050.00	ए	तीन माह	19.03.16
4	रुक्मणी विहार योजना के सैक्टर-1 में आश्रम भूखण्ड के मध्य सड़कों पर बी.एम. व एस.डी.सी. का कार्य।	53,95,979.00	4,70,000.00	1050.00	ए	तीन माह	19.03.16
5	रुक्मणी विहार आवासीय योजना के सैक्टर-1 में तुलसी पार्क के चारों तरफ एवं सर्विस रोड के सुदृढीकरण का कार्य।	52,03,063.00	4,60,500.00	1050.00	ए	तीन माह	19.03.16
6	छटीकरा-वृन्दावन मार्ग पर वी.आई.पी. रोड तिराहे के समीप से 100 फुटा तिराहे तक (दायी पटरी) साइकिल ट्रैक व नाला कवरिंग/फुटपाथ का निर्माण कार्य।	1,30,06,888.00	8,50,500.00	2625.00	ए	तीन माह	19.03.16
7	छटीकरा-वृन्दावन मार्ग पर वी.आई.पी. रोड तिराहे के समीप से 100 फुटा तिराहे तक (बांयी पटरी) साइकिल ट्रैक व नाला कवरिंग/फुटपाथ का निर्माण कार्य।	84,02,223.00	6,20,000.00	1050.00	ए	तीन माह	19.03.16
8	गोकुल बैराज रोड से जलशोधन संस्थान तक के मार्ग का निर्माण कार्य।	93,92,148.50	6,70,000.00	1050.00	ए	छः माह	19.03.16
9	रुक्मणी विहार आवासीय योजना में समाजवादी आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों (प्लैट्स) हेतु विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने का कार्य।	45,07,080.00	4,25,500.00	788.00	बी	छः माह	17.03.16
10	रुक्मणी विहार आवासीय योजना के सैक्टर-3 में स्टूडियो भवनों के मध्य सी0सी0 सड़क व नालियों का निर्माण कार्य।	39,90,000.00	3,99,000.00	788.00	बी	छः माह	17.03.16
11	रायफल क्लब परिसर में कोर्ट का निर्माण एवं विद्युतीकरण का कार्य।	27,44,074.00	2,74,500.00	788.00	बी	तीन माह	17.03.16
12	छाता में स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	32,80,289.50	3,28,100.00	788.00	बी	तीन माह	17.03.16
13	ग्राम अकबरपुर, छाता में स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	28,13,923.90	2,81,500.00	788.00	बी	तीन माह	17.03.16
14	गोवर्धन रोड से आनन्द लोक कालोनी के पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	18,87,772.00	1,89,000.00	788.00	सी	दो माह	17.03.16
15	लाजपत नगर में श्री अमर चन्द्र बघेल की दुकान से श्री सोहन लाल के घर तक सड़क निर्माण कार्य	10,01,288.00	1,00,200.00	525.00	सी	दो माह	17.03.16
16	डैम्पियर नगर, मथुरा में छतरी वाला, अहिल्याबाई होल्कर एवं पं० दीनदयाल उपाध्याय रोटरी/पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	13,57,193.00	1,36,000.00	525.00	सी	तीन माह	17.03.16
17	रोटी गोदाम के बराबर में श्री रविकान्त शर्मा के मकान से श्री धीरज लाल चतुर्वेदी के मकान तक सड़क/नाली का निर्माण	6,66,323.70	67,000.00	315.00	डी	एक माह	17.03.16

क्र.सं.	कार्य।	अंश	प्रस्तावित	अनुमानित	श्रेणी	अवधि	दिनांक
18	राधापुरम आवासीय योजना में एक नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य।	3,88,674.70	39,000.00	210.00	डी	दो माह	15.03.16
19	कृष्णा विहार आवासीय योजना में मेनहोल चैम्बर की रिपेयरिंग का कार्य।	2,75,031.00	28000.00	210.00	डी	एक माह	15.03.16
20	रुक्मणी विहार योजना में सैक्टर-1 व 2 के पार्को के चारों ओर एवं 12.00 मी0 (बाउण्ड्रीवाल के समान्तर), 18.00 मी0 व 30 मी0 चौड़ी सड़क के किनारे ट्री गार्ड लगाकर पौधा रोपण (तीन वर्ष का अनुरक्षण सहित) का कार्य (द्वितीय चरण)।	35,47,000.00	3,55,000.00	788.00	—	तीन माह	15.03.16
21	रुक्मणी विहार आवासीय योजना में साइकिल ट्रैक के किनारे पौधारोपण का कार्य।	12,10,000.00	1,20,000.00	525.00	—	एक माह	15.03.16
22	चैतन्य विहार आवासीय योजना में विभिन्न स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट लगाने का कार्य।	1,29,507.00	13,000.00	210.00	डी	एक माह	15.03.16
23	कैलाश नगर योजना में आवास संख्या-150-200 के मध्य पार्क में पोल लगाकर प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	1,26,416.60	13,000.00	210.00	डी	एक माह	15.03.16
24	रुक्मणी विहार योजना हेतु निर्मित 33 के0वी0 लाइन फीडर जोड़ने हेतु 132/33 के0वी0 पागल बाबा सब स्टेशन पर निर्मित 'वे' से रुक्मणी विहार लाइन को जोड़ने का कार्य।	4,55,814.00	46,000.00	210.00	डी	एक माह	15.03.16

- क्रम संख्या-1 से 8 पर वर्णित कार्यों की निविदा प्राधिकरण में सिविल श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों की मान्य की जायेगी एवं क्रम संख्या-1 से 5 तक हॉटमिक्स प्लान्ट अनिवार्य है। क्रम संख्या-9 पर वर्णित कार्य की निविदा प्राधिकरण में विद्युत श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदार को टू-बिड सिस्टम के आधार पर मान्य होगी। क्रम सं0-10 पर अंकित कार्य हेतु प्राधिकरण में सिविल श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों जिन्हें सी0सी0 रोड के निर्माण का अनुभव है, की ही निविदा मान्य होगी। क्रम संख्या-11 से 19 पर अंकित कार्यों की निविदा प्राधिकरण में सिविल श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों की मान्य होगी। क्रम संख्या-20 व 21 पर अंकित कार्यों की निविदा सरकारी/अर्धसरकारी/विकास प्राधिकरणों में पंजीकृत, समान प्रकार के कार्यों का अनुभव रखने वाले ठेकेदारों की मान्य की जायेगी एवं प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। क्रम संख्या-22 से 24 पर अंकित कार्यों की निविदा प्राधिकरण में विद्युत श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों की मान्य होगी तथा क्रम संख्या-24 हेतु 33 के0वी0ए0 के कार्य का अनुभव रखने वाली फर्मों की निविदा ही मान्य होगी। निविदादाता निविदा देने से पूर्व कार्यस्थल, स्थिति एवं दशाओं का भली-भाँति निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन कर लें। निविदा स्वीकृति के बाद कोई आपत्ति अथवा दावा मान्य नहीं होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
 - टू-बिड सिस्टम में एक लिफाफे में दो अलग-अलग सीलबन्द लिफाफों में डाली जायेगी जिनमें एक लिफाफे में तकनीकी बिड सम्बन्धित प्रपत्र तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड होगी। तकनीकी बिड में अर्ह पाये गये निविदादाताओं की ही नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर वित्तीय बिड खोली जायेगी।
 - विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण अनुभाग-12, लखनऊ के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08.टी0सी0 दिनांक 08 जून 2012 में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त टेण्डर स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में "कट आफ लिमिट" से प्रतिशत बिलो टेण्डर पर कार्य स्वीकार करने के साथ-साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी लिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार 10 प्रतिशत बिलो (निम्न) तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (निम्न) दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी ली जायेगी। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी, राष्ट्रीकृत बैंक की एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी/एन0एस0सी0 जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बंधक हो, जमा करायी जायेगी।
 - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों विनियम) अधिनियम 1996 तथा प्रदेश नियमावली वर्ष 2009 के अन्तर्गत अधिष्ठानों व श्रमिकों का पंजीयन नियमानुसार कराना अनिवार्य होगा।
 - शासन द्वारा समय-समय पर जो टैक्स निर्धारित किया जायेगा, उसकी कटौती ठेकेदार के बिल से नियमानुसार की जायेगी।
 - यदि कार्य में सर्विस टैक्स की देयता होगी तो उक्त के जमा कराने के साक्ष्य के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर सर्विस टैक्स की धनराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।
 - उपरोक्त कार्यों के निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मयूर बिहार, मथुरा से निर्धारित निविदा मूल्य जमा कर कय किये जा सकते हैं।
- नोट:- निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भलीभाँति पढ़ व समझ लें। निविदा के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। निविदा की शर्तें प्राधिकरण कार्यालय एवं प्राधिकरण की वैबसाइट [www.rajnagar.gov.in](#) पर देखा जा सकता है।

सचिव,
म0व0वि0प्रा0, मथुरा।

निविदा की शर्तः—

1. क्रम संख्या-1 से 8 पर वर्णित का कार्यों की निविदा प्राधिकरण में सिविल श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों की मान्य की जायेगी एवं क्रम संख्या-1 से 5 तक हॉटमिक्स प्लान्ट अनिवार्य है । क्रम संख्या-9 पर वर्णित कार्य की निविदा प्राधिकरण में विद्युत श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदार को टू-बिड सिस्टम के आधार पर मान्य होगी । क्रम सं0-10 पर अंकित कार्य हेतु प्राधिकरण में सिविल श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों जिन्हें सी0सी0 रोड के निर्माण का अनुभव है, की ही निविदा मान्य होगी । क्रम संख्या-11 से 19 पर अंकित कार्यों की निविदा प्राधिकरण में सिविल श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों की मान्य होगी । क्रम संख्या-20 व 21 पर अंकित कार्यों की निविदा सरकारी/अर्धसरकारी/विकास प्राधिकरणों में पंजीकृत, समान प्रकार के कार्यों का अनुभव रखने वाले ठेकेदारों की मान्य की जायेगी एवं प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है । क्रम संख्या-22 से 24 पर अंकित कार्यों की निविदा प्राधिकरण में विद्युत श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों की मान्य होगी तथा क्रम संख्या-24 हेतु 33 के0वी0ए0 के कार्य का अनुभव रखने वाली फर्मों की निविदा ही मान्य होगी। निविदादाता निविदा देने से पूर्व कार्यस्थल, स्थिति एवं दशाओं का भली-भाँति निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन कर लें। निविदा स्वीकृति के बाद कोई आपत्ति अथवा दावा मान्य नहीं होगा । सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. टू-बिड सिस्टम में एक लिफाफे में दो अलग-अलग सीलबन्द लिफाफों में डाली जायेगी जिनमें एक लिफाफे में तकनीकी बिड सम्बन्धित प्रपत्र तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड होगी । तकनीकी बिड में अर्ह पाये गये निविदादाताओं की ही नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर वित्तीय बिड खोली जायेगी ।
3. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण अनुभाग-12, लखनऊ के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08.टी0सी0 दिनांक 08 जून 2012 में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त टेण्डर स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में "कट आफ लिमिट" से प्रतिशत बिलो टेण्डर पर कार्य स्वीकार करने के साथ-साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी लिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार 10 प्रतिशत बिलो (निम्न) तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (निम्न) दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी ली जायेगी। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी, राष्ट्रीकृत बैंक की एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी/एन0एस0सी0 जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बंधक हो, जमा करायी जायेगी ।
4. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों विनियम) अधिनियम 1996 तथा प्रदेश नियमावली वर्ष 2009 के अन्तर्गत अधिष्ठानों व श्रमिकों का पंजीयन नियमानुसार कराना अनिवार्य होगा ।
5. शासन द्वारा समय-समय पर जो टैक्स निर्धारित किया जायेगा, उसकी कटौती ठेकेदार के बिल से नियमानुसार की जायेगी ।
6. यदि कार्य में सर्विस टैक्स की देयता होगी तो उक्त के जमा कराने के साक्ष्य के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर सर्विस टैक्स की धनराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी ।
7. उपरोक्त कार्यों के निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मयूर बिहार, मथुरा से निर्धारित निविदा मूल्य जमा कर कय किये जा सकते हैं ।

नोटः— निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भलीभाँति पढ़ व समझ लें । निविदा के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा । निविदा की शर्तों प्राधिकरण कार्यालय एवं प्राधिकरण की वैबसाइट [www.ujp.gov.in](#) पर देखा जा सकता है ।